

पत्रांक-08 / लो०से०अ०-02-16 / 2013, सा०प्र०: 19620 /

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ. धर्मेन्द्र सिंह गंगवार,  
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक- 27-12-13

विषय:-

बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत कतिपय अधिसूचित कतिपय सेवाओं को हटाने एवं नियत समय-सीमा को कम करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित निम्न सेवाओं को इस अधिनियम से विलोपित करने का निर्णय लिया गया है:-

- (i) भारत सरकार द्वारा इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू करने के फलस्वरूप समाज कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित 'राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना' को बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम से विलोपित कर दिया गया है।
- (ii) बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 लागू होने के फलस्वरूप नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा क्रियान्वित 'शहरी क्षेत्र में होल्डिंग निर्धारण' की सेवा को लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाओं की सूची से विलोपित कर दिया गया है।

2. गृह विभाग, परिवहन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के निम्न अधिसूचित सेवाओं को प्रदान करने की पूर्व निर्धारित नियत समय-सीमा को कम किया गया है:-

(i) गृह विभाग :-

सेवा का नाम	नामनिर्दिष्ट लोक सेवक	पूर्व निर्धारित समय सीमा	संशोधित समय सीमा
1)पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में प्राप्त चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन (पासपोर्ट, नौकरी इत्यादि) के आवेदनों का निस्तार	डी.एस.पी. (मु.) या संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राधिकृत कोई डी.एस.पी.	28 कार्यदिवस	14 कार्यदिवस